न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर (राज0)

राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट अभियान न्याय आपके द्वार शिविर 2017
अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत गहलोता, तहसील दूदू
शिविर प्रभारी अधिकारी– श्री त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या : 111/2011
वाद दायरी दिनांक : 03/05/2011
निर्णय दिनांक : 12/05/2017

1. लक्ष्मण पुत्र श्री बजरंग
2. भंवरी पत्नि बजरंग

} जाति दरोगा निवासी छिर्र तहसील दूदू जिला जिला जयपुर राजस्थान।

— वादीगण

–बनाम–

1. नन्दलाल पुत्र श्री बजरंग जाति दरोगा निवासी छिर्र तहसील दूदू जिला जयपुर राज0।
2. तहसीलदार तहसील दूदू जिला जयपुर राजस्थान।

— प्रतिवादीगण

वाद घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा
(अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955)

उपस्थिति – श्री विरेन्द्र सिंह खंगारोत
विद्वान अधिवक्ता वादीगण।

प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध
कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी।

प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 12/05/17

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खतौनी संख्या 108 के आराजी खसरा नम्बर 1722 रकबा 0.25 हैक्टेयर, 1767 रकबा 0.80 हैक्टेयर, कुल किता 02 कुल रकबा 1.05 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम छिर्र तहसील दूदू जिला जयपुर राज0 में स्थित है जो वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात है। विवादित आराजीयात राजस्व रिकार्ड में नौरत पुत्र छोटू के नाम दर्ज थी नौरत की मृत्यु पर

उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

विधि अनुसार विरासत का नामान्तकरण बजरंग के नाम खुलना चाहिये था परन्तु राजस्वकर्मियों ने त्रुटिवश नामान्तकरण बजरंग के पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 नन्दलाल के नाम नन्दलाल पुत्र नौरत दर्ज करते हुये तस्दीक कर दिया जो पूर्णतः विधि विरूद्ध था उक्त आराजीयात नौरत की खातेदारी की आराजीयात थी नौरत की मृत्यु के पश्चात उसका नामान्तरकरण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता बजरंग के तथा बजरंग की मृत्यु पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम तस्दीक होना चाहिये था। हिन्दू विधि के अनुसार नन्दलाल को नौरत ने कभी गोद नहीं लिया था तथा नौरत की विवादित आराजीयात विधि अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक को 1/3 –1/3 हिस्से अनुसार प्राप्त हुई एवं इसी अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। नन्दलाल के अकेले के नाम नामान्तकरण खुल जाने से अब वह उक्त आराजीयात को दीगर व्यक्तियों को बेचान करना चाहते हैं जिसको उसे कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं उक्त आराजीयात में दोनो वादीगण का भी 1/3–1/3 हिस्सा निहित है। वादीगण को विवदित आराजीयात अकेले नन्दलाल के नाम दर्ज होने की जानकारी नहीं थी प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जब उक्त आराजीयात को बैचान बाबत दीगर व्यक्तियों को दिखाया गया, तो वादीगण द्वारा आपत्ति की गयी। इस पर प्रतिवादी संख्या 1 ने ऐलानियां धमकी दी कि विवादित आराजीयात मेरे अकेले के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं मैं इसे बे0चान करूंगा एवं तुम्हे बेदखल कर दूंगा इस पर वादीगण द्वारा पटवारी हल्का से विवादित आराजीयात की जमाबन्दी की नकल दिनांक 02.05.2011 को प्राप्त की गयी तो वादीगण की जानकारी में आया कि विवादित आराजीयात अकेले प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हैं जिससे वादीगण को अपने अधिकारों की रक्षार्थ यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया जाना लाजिमी हुआ है।

वादीगण ने वाद के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा इस आशय की फरमायी जावे कि विवादित आराजी वर्णित वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में वादी संख्या 1 , 1/3 हिस्से का वादी संख्या संख्या 2 1/3 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1, 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे तथा न ही आराजी का रहन, बैय, मुन्तकिल, विक्रय आदि करें।

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गयी।

दिनांक 25/07/2011 को प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश किया। दिनांक 18/10/2011 को प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद तामिल उपस्थित नही होने से उसके विरुद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी। दिनांक 06/03/2017 को तनकीयात कायम की गयी, जो शामिल पत्रावली की गयी।

दिनांक 12/05/2017 को पत्रावली कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत गहलोता में पेश हुई।

कैम्प में वादीगण एवं पैरोकार उपस्थित हुये। वादीगण ने गवाहान के शपथ–पत्र पेश किये, जो शामिल पत्रावली किये गये।

विद्वान अधिवक्ता वादीगण की कैम्प में मजमे आम में एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादीगण की एकपक्षीय बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, दस्तावेजात नकल जमाबन्दी व राशनकार्ड किता–2 व पैरोकार द्वारा प्रस्तुत जवाब का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2064 से 2067 के खाता संख्या 108 के अनुसार विवादित आराजीयात खातेदार नन्दलाल पुत्र नौरत नाबालिग वली बींला स्त्री छोटु के नाम से दर्ज है, जबकि वादीगण द्वारा प्रस्तुत सजरा के अनुसार नन्दलाल नौरत का पुत्र न होकर बजरंग का पुत्र हैं, कानूनन नौरत के नाऔलाद फौत होने पर उसकी विरासत हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उसके द्वितीय श्रैणी का वारिश जो कि सगा भाई बजरंग है, उसके नाम से दर्ज होनी चाहिये थी, जबकि इस प्रकरण में ऐसा नही हुआ। मजमे आम में छोटु के वारिसान की जांच करने पर पाया गया कि छोटु के पत्नी बींला का स्वर्गवास हो चुका है, एक पुत्र नौरत अविवाहित निर्वसियत ही फौत हो चुका है एवं दुसरा पुत्र बजरंग है, जिसके वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 हैं, इस प्रकार जब नौरत अविवाहित ही नाऔलाद एवं निर्वसियत ही फौत हो गया तो उसका विरासत का नामान्तरकरण उसके भाई बजरंग के खुलना चाहिये था तत्पश्चात बजरंग के वारिसान वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से बराबर–बराबर दर्ज होनी चाहिये थी। वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य गवाहान,

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

दस्तावेजी साक्ष्यों एवं तहसीलदार दूदू की तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनसार वादीगण का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादीगण का वाद डिकी किया जाकर विवादित आराजीयात खतौनी संख्या 108 के खसरा नम्बर 1722, 1767 कुल किता 02 कुल रकबा 1.05 हैक्टेयर वाके ग्राम छिर्र, तहसील दूदू में वादी संख्या 1 को 1/3 हिस्से का, वादी संख्या 2 को 1/3 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 12/5/2017 को कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत गहलोता में मजमे आम में सुनाया गया।

मुद्रा

शिविर प्रभारी / उपखण्ड अधिकारी
दूदू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

नाम अदालत न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दूदू

इजलास राजस्व लोक अदालत / कैम्प कोर्ट अभियान न्याय आपके द्वारा 2017 (शि.) (मि.) (लोक) व.न. मीणा (RAS)

1. लड्डूराम पुत्र बंजरंग दरोगा बनाम 1. नन्दलाल पुत्र बंजरंग दरोगा नि० छिर्रे, श्रीमती पत्नि बजरंग दरोगा नि० छिर्रे दावा बाबत शोधकार नागरिकरण 2. तहसीलदार तहसील दूदू

मुकदमा नं. 111 / 2011 सन्

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विरेन्द्र सिंह, खंगारोत उ.ख.अ.

हाजिरी .... मिनजानिब मुद्दई रूबरू ....

मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात खतौनी संख्या 108 के ख.न. 1722, 1767 कुल किता 2 कुल रकबा 1.05 हे० वाके ग्राम छिर्रे तहसील दूदू मे वादी संख्या 1 को 1/3 हिस्से का, वादी संख्या 2 को 1/3 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 1 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

मुवलिग .... बाबत ....

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद तशरीह .... फरीकैन .... आज की तारीख से

तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12 माह 05 सन् 2017 को

जारी की गई।

दस्तखत

ओहदा उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner